२०/५/२६

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप. पाठ पढ़ी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2023/64

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्या:– 175/2023 GCMS:- 2023/64 ता.दायरा:– 17.07.2023

–: अनवान :–

विधाधर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. कर्मसिंह पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. काशीराम पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
3. सुखदेवसिंह पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह , अधिवक्ता वादी

– :: निर्णय ::–

दिनांक:– 20.05.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाते में तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एफ.डी.एम. ए की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/1 के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1 ता 19/4.807, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202, 24/1 में 0.202, 25/1 में 0.202 = 6.070 हैक्टेयर कमाण्ड/अ.कं. में वादी के नाम 2883/70 हिस्सा व प्रतिवादी न. 1 के नाम 253/6070 हिस्सा व प्रतिवादी न. 2 के नाम 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी न. 3 के नाम 172/607 हिस्सा रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] जैरप्रकरण रकबा का वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ [illegible] प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब [illegible] कीमत को ध्यान में रखकर किया हुआ हैं। घरू बंटवारा वादी की चक 5 एफ.डी.एम. ए के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1–2/0.506, 9 ता 12/1.012, 18–19/0.506, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202 = 2.8830 हैक्टेयर रकबा पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। जिसे वादी खाता विभाजन में प्राप्त करने का कानूनी हकदार हैं। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता होने से वादी को रकम, मालकानां जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

करवाने व बैंक से ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को भूमि का खाता विभाजन करने को कहा तो वो टालमटोल करते रहें। बाद में खाता विभाजन से इन्कार करने के कारण वादी ने दावा प्रस्तुत किया हैं। अतः निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र अनुतोष क ता ख अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। साधारण सम्मन व रजिस्टर्ड सम्मन से तामील नहीं होने पर जरिये अखबार साया तामील करवाई गई। उसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादी के अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यो को निवेदन किया कि उसका प्रतिवादीगण सहखातेदारो से कब्जा काश्त से संबंधित कोई विवाद नहीं हैं। वादी का घरू बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर कमाण्ड व अनकमाण्ड में हिस्सा अनुसार बंटवारा किया हुआ हैं इसलिए बंटवारा अनुसार वादी अपना खाता विभाजन सहखातेदारो से करवाना चाहता हैं।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अलवोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार 5.262 हैक्टेयर कमाण्ड व 0.808 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत कब्जा काश्त अनुसार कमाण्ड व अनकमाण्ड में अपने हिस्सा अनुसार बंटवारा किया हुआ हैं। वादी द्वारा संयुक्त खाता की परेशानी के कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं। चूंकि प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आये हैं इसलिए उनका हिस्सा संयुक्त रखते हुए वादी का खाता अलग करना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि चक 5 एफ.डी.एम. ए पटवार हल्का सादकवाला तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/1 के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1 ता 19/4.807, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202, 24/1 में 0.202, 25/1 में 0.202 = 6.070 हैक्टेयर कमाण्ड/अ.कं. में में से चक 5 एफ.डी.एम. ए पटवार हल्का सादकवाला तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1-2/0.506, 9 ता 12/1.012, 18-19/0.506, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202 = 2.8830 हैक्टेयर भूमि का खाता वादी विधाधर पुत्र कुरड़ाराम के नाम से अलग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। शेष खातेदारो का खाता संयुक्त रखा जावे। रकम राज अलग-अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 ... या गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

–: अनवान :–

विधाधर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

......वादी

बनाम

1. कर्मसिंह पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. काशीराम पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
3. सुखदेवसिंह पुत्र सन्तराम जाति जटसिख निवासी धई जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

......प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 175 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री कुलविन्द्र सिंह के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा जैरवाद भूमि चक 5 एफ.डी.एम. ए पटवार हल्का सादकवाला तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 41/1 के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1 ता 19/4.807, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202, 24/1 में 0.202, 25/1 में 0.202 = 6.070 हैक्टेयर कमाण्ड/अ.कं. में में से चक 5 एफ.डी.एम. ए पटवार हल्का सादकवाला तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 91/336(28) के किला नम्बर 1–2/0.506, 9 ता 12/1.012, 18–19/0.506, 20/1 में 0.253, 21/1 में 0.202, 22/1 में 0.202, 23/1 में 0.202 = 2.8830 हैक्टेयर भूमि का खाता वादी विधाधर पुत्र कुरड़ाराम के नाम से अलग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। शेष खातेदारो का खाता संयुक्त रखा जावे। रकम राज अलग–अलग कायम की जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिका[illegible]न करें।

नोज......... × .... मुबलिग .... × .... बाबत.........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ......× .... फलहरी .... फसलाना ......×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.05.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.25 13:37:52 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)